कर्मचारी राज्य बीमा निगम
(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार)
EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION
(Ministry of Labour & Employment, Govt. of India)

सत्यमेव जयते

क्षेत्रीय कार्यालय/ REGIONAL OFFICE,
पंचदीप भवन, सर्वोदय नगर, कानपुर-208005
PANCHDEEP BHAWAN, SARVODAYA NAGAR, KANPUR-208005
Phone: 0512-2217957
Email: rd-up@esic.nic.in

पत्र सं.21-ए-24/12/1/एम.टी.एस./1/2024-स्था.

आदेश

उत्तर प्रदेश क्षेत्र में कार्यरत मल्टी टास्किंग स्टाफ संवर्ग के कर्मचारियों की वर्ष 2019, 2020, 2021, 2022 तथा 2023 की दिनांक- 31.12.2023 की स्थिति के अनुसार ड्राफ्ट वरिष्ठता सूची स्थापना शाखा-I, क्षेत्रीय कार्यालय, कानपुर द्वारा पत्र सं. 21-ए-24/12/1/एम.टी.एस./1/2024-स्था. के माध्यम से जारी 'परिपत्र' दिनांक- 25.10.2024 द्वारा परिचालित ड्राफ्ट वरिष्ठता सूची के क्रम सं. 01 से 69 तक के कार्मिकों के संदर्भ में विवरण के संबंध में तथा क्रम सं. 70 से 159 तक के कार्मिकों के संदर्भ में वरिष्ठता/विवरण के संबंध में त्रुटियाँ/ आपत्तियाँ यदि कोई हों, तो संबंधित कार्मिक अपना अभ्यावेदन दिनांक-14.11.2024 को सांय 05:00 बजे तक ई-मेल द्वारा स्थापना शाखा-I, क्षेत्रीय कार्यालय, कानपुर को प्रेषित करने हेतु निर्देशित किया गया था।

उपरोक्त वरिष्ठता सूची के संबंध में प्राप्त आपत्तियों/अभ्यावेदनों एवं उन आपत्तियों का अधोहस्ताक्षरी के द्वारा निस्तारण निम्नवत किया गया है-

क्र. सं.	कार्मिक का नाम (सर्व श्री/श्रीमती/कु.) व पद, कर्मचारी सं. व वर्तमान तैनाती स्थान	ड्राफ्ट वरिष्ठता सूची का क्र. सं. एवं वर्ष	आपत्तियाँ/अभ्यावेदन का संक्षिप्त विवरण	सक्षम अधिकारी द्वारा आपत्तियों एवं त्रुटियों के संदर्भ में निस्तारण
1.	अवनीत कुमार, एम.टी.एस., 173515, उ.क्षे.का. लखनऊ	73, 2021	पत्र दि. 29.10.2024 द्वारा सूचित किया गया है कि तमिलनाडु क्षेत्र से दि. 22.10.2021 को कार्यमुक्त होकर अंतर क्षेत्रीय स्थानांतरण के तहत क्षे.का.कानपुर में दि. 25.10.2021 को कार्यग्रहण किया गया है। कर्मचारी के साथ तमिलनाडु क्षेत्र से अन्य दो कर्मचारी (श्री रोहित कुमार, एम.टी.एस. एवं श्री हनुमंत लाल पासी,एम.टी.एस.) भी अंतर क्षेत्रीय स्थानांतरण के तहत क्षे.का.कानपुर में कार्यग्रहण किया गया है| तमिलनाडु क्षेत्र की वरिष्ठता सूची में दोनों कर्मचारी (श्री रोहित कुमार, एम.टी.एस. एवं श्री हनुमंत लाल पासी, एम.टी.एस.) कर्मचारी (श्री अवनीत कुमार, एम.टी.एस.) से जूनियर है परंतु क्षे.का.कानपुर द्वारा एम.टी.एस. संवर्ग के संबंध में जारी ड्राफ्ट वरिष्ठता सूची में श्री रोहित कुमार, एम.टी.एस. एवं श्री हनुमंत लाल पासी, एम.टी.एस. को श्री श्री अवनीत कुमार,एम.टी.एस. से सीनियर रखा गया है। चूँकि तीनों कर्मचारी एक ही क्षेत्र (तमिलनाडु) से अंतर क्षेत्रीय स्थानांतरण के तहत उत्तर प्रदेश क्षेत्र में स्थानांतरित हुए है, जिस संबंध में कर्मचारी द्वारा ड्राफ्ट वरिष्ठता सूची में वरिष्ठता क्रम में सुधार किये जाने हेतु अनुरोध किया गया है।	वर्ष 2021 में उ.प्र. क्षेत्र में अंतर्क्षेत्रीय स्थानांतरण के अंतर्गत कार्यग्रहण करने वाले कार्मिक (श्री अवनीत कुमार, एम.टी.एस., श्री रोहित कुमार, एम.टी.एस., श्री हनुमंत लाल पासी, एम.टी.एस. एवं श्री राज किशोर शाह, एम.टी.एस.) क.रा.बी.निगम, क्षे. का. तमिलनाडु क्षेत्र से अंतर्क्षेत्रीय स्थानांतरित होकर उत्तर प्रदेश क्षेत्र में कार्यग्रहण किया गया है । जिस संबंध में मुख्यालय के पत्र सं. A-33/19/1/IRT/2020-E.II दि. 20.01.2021 द्वारा जारी अंतर्क्षेत्रीय स्थानांतरण नीति के बिंदु 5(b) (मूल क्षेत्र की परस्पर वरिष्ठता अपरिवर्तित रहेगी) के अनुसार श्री अवनीत कुमार, एम.टी.एस. एवं श्री राज किशोर शाह, एम.टी.एस. की आपत्ति को स्वीकार करते हुए वर्ष 2021 की संशोधित ड्राफ्ट वरिष्ठता सूची जारी की जा रही है।
2.	राज किशोर शाह, एम.टी.एस., 173451, क्षे.का.कानपुर	74, 2021	ई-मेल दि. 04.11.2024 द्वारा सूचित किया गया है कि ड्राफ्ट वरिष्ठता सूची में कर्मचारी का नाम क्रमांक सं. 74 पर उल्लिखित है। इस संबंध में सूचित करना है कि प्रार्थी का स्थानांतरण अंतक्षेत्रीय स्थानांतरण के अंतर्गत उत्तर प्रदेश क्षेत्र में वर्ष 2021 में हुआ है एवं अंतक्षेत्रीय स्थानांतरण के अंतर्गत स्थानांतरित हुए कार्मिकों की वरिष्ठता मुख्यालय के पत्र सं. A-33/19/1/IRT/2020-E.II दि. 20.01.2021 द्वारा जारी अंतक्षेत्रीय स्थानांतरण नीति के बिंदु 5(b) के अनुसार "The inter-se seniority of the parent region will	

			remain undisturbed." के अनुसार होनी चाहिए । ड्राफ्ट वरिष्ठता सूचि में क्रमांक सं. 71 से 73 तक उल्लिखित कार्मिकों के साथ-साथ प्रार्थी (क्रमांक सं. 74 पर उल्लिखित) का स्थानांतरण क्षेत्रीय कार्यालय, चेन्नई से अंतक्षेत्रीय स्थानांतरण के अंतर्गत उत्तर प्रदेश क्षेत्र में वर्ष 2021 में हुआ है एवं क्षेत्रीय कार्यालय, चेन्नई द्वारा दिनांक 22.12.2017 (प्रति संलग्न) को जारी रिजल्ट में प्रार्थी का नाम क्षे.का.कानपुर द्वारा जारी ड्राफ्ट वरिष्ठता सूचि के क्रमांक सं. 72 पर उल्लिखित कार्मिक (श्री हनुमंत लाल पासी) से ऊपर है । जिसके अनुसार मुख्यालय के पत्र सं. A-33/19/1/IRT/2020-E.II दि. 20.01.2021 द्वारा जारी अंतक्षेत्रीय स्थानांतरण नीति के बिंदु 5(b) के अनुसार प्रार्थी का नाम ड्राफ्ट वरिष्ठता सूचि में क्रमांक सं. 72 पर उल्लिखित कार्मिक (श्री हनुमंत लाल पासी) से ऊपर होना चाहिए । कर्मचारी द्वारा ड्राफ्ट वरिष्ठता सूची में में क्रमांक सं. 70 से 74 तक उल्लिखित कार्मिकों की वरिष्ठता सूचि में परिलक्षित विसंगतियों को दूर करते हुए संशोधित ड्राफ्ट वरिष्ठता सूचि जारी किये जाने हेतु अनुरोध किया गया है ।	
3.	आयुष कुमार सिंह, एम.टी.एस., 189919,क्षे.का.कानपुर	112, 2022	पत्र दि. 28.10.2024 द्वारा सूचित किया गया है कि शैक्षिक योग्यता में 'Intermediate' की प्रविष्टि है, जबकि कर्मचारी द्वारा नियुक्ति के समय Attestation Form में अंतिम शैक्षिक योग्यता के रूप में 'B.Sc.' अंकित किया गया था । कर्मचारी द्वारा शैक्षिक योग्यता में 'Intermediate' के स्थान पर 'B.Sc.' दर्ज करने का अनुरोध किया गया है ।	श्री आयुष कुमार सिंह, एम.टी.एस. के व्यक्तिगत पत्रावली के अनुसार कर्मचारी द्वारा Attestation Form में अंतिम शैक्षिक योग्यता के रूप में 'B.Sc.' दर्ज किया गया है, परंतु 'B.Sc.' उत्तीर्ण किये जाने से संबंधित मार्कशीट एवं डिग्री की सत्यापित प्रति उपलब्ध नहीं है । अत: श्री आयुष कुमार सिंह, एम.टी.एस. से प्राप्त आपत्ति को खारिज किया जाता है ।
4.	प्रभात कुमार, एम.टी.एस., 188761, उ.क्षे.का. लखनऊ	120, 2022	पत्र दि. 06.11.2024 द्वारा सूचित किया गया है कि शैक्षिक योग्यता में 'B.Tech.' की प्रविष्टि है, जबकि कर्मचारी द्वारा नियुक्ति के समय Attestation Form में अंतिम शैक्षिक योग्यता के रूप में 'M.Tech' अंकित किया गया था । कर्मचारी द्वारा शैक्षिक योग्यता में 'B.Tech.' के स्थान पर 'M.Tech' दर्ज करने का अनुरोध किया गया है ।	श्री प्रभात कुमार, एम.टी.एस. के व्यक्तिगत पत्रावली के अनुसार कर्मचारी द्वारा Attestation Form में अंतिम शैक्षिक योग्यता के रूप में 'M.Tech' दर्ज किया गया है, परंतु 'M.Tech' उत्तीर्ण किये जाने से संबंधित मार्कशीट एवं डिग्री की सत्यापित प्रति उपलब्ध नहीं है । अत: श्री प्रभात कुमार, एम.टी.एस. से प्राप्त आपत्ति को खारिज किया जाता है ।
5.	नंदिनी गुप्ता, एम.टी.एस., 190475, क्षे.का.कानपुर	154, 2023	ई-मेल दि. 13.11.2024 द्वारा सूचित किया गया है कि एम.टी.एस. भर्ती परीक्षा-2022 की मेरिट सूची में कर्मचारी 31वें स्थान पर है एवं सीधी भर्ती के बीच वरिष्ठता उनके संबंधित रैंक द्वारा तय की जाती है । जिस संबंध में कर्मचारी की वरिष्ठता उपरोक्त नियम के तहत दी जानी चाहिए । इसके अतिरिक्त कर्मचारी द्वारा यह भी सूचित किया गया है कि उन्हें उनके अधिकांश बैचमेट्स की तुलना में बाद में नियुक्ति पत्र जारी किया गया था, जिस कारण कर्मचारी वर्ष 2022 में निगम में नियुक्त नहीं हो सका था एवं बिना किसी भी एक्सटेंशन का लाभ उठाए वर्ष 2023 में निगम में नियुक्त हुई ।	सुश्री नंदिनी गुप्ता, एम.टी.एस. की निगम में नियुक्ति तिथि 20.01.2023 है एवं श्री हर्षल चौहान, एम.टी.एस. की निगम में नियुक्ति तिथि 08.05.2023 है । जिस संबंध में कार्मिकों की वरिष्ठता भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय,कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा पत्र सं. 20011/2/2019-Estt. (D), दि. 13.08.2021 के माध्यम से जारी 'कार्यालय ज्ञापन' के अनुसार तैयार की गई है । जिसमें निर्देशित है कि "Where in case of promotees or direct recruits. the year of appointment is the next year or any year subsequent to the recruitment year, the seniority of such promotees and direct recruits would be determined with reference to the year of their actual joining/appointment to
6	हर्षल चौहान, एम.टी.एस., 190718, क्षे.का.कानपुर	156, 2023	ई-मेल दि. 13.11.2024 द्वारा सूचित किया गया है कि एम.टी.एस. भर्ती परीक्षा-2022 की मेरिट सूची में कर्मचारी 39 वें स्थान पर है एवं सीधी भर्ती के बीच वरिष्ठता उनके संबंधित रैंक द्वारा तय की जाती है । जिस संबंध में कर्मचारी की वरिष्ठता उपरोक्त नियम के तहत दी जानी चाहिए । इसके अतिरिक्त कर्मचारी द्वारा यह भी सूचित किया गया है कि उन्हें उनके अधिकांश बैचमेट्स की तुलना में बाद में नियुक्ति पत्र	

			जारी किया गया था, जिस कारण कर्मचारी वर्ष 2022 में निगम में नियुक्त नहीं हो सका था एवं बिना किसी भी एक्सटेंशन का लाभ उठाए वर्ष 2023 में निगम में नियुक्त हुआ।	the post, since they were not able to join in the said recruitment year in which the vacancy arose. Thus, they would get seniority of the year in which they actually join i.e. year in which formal appointment order is issued or they are borne in the service/cadre and that they shall not get seniority of any earlier year (viz. year of Vacancy/panel or year in which recruitment process is initiated)." अत: सुश्री नंदिनी गुप्ता, एम.टी.एस. एवं श्री हर्षल चौहान, एम.टी.एस. से प्राप्त अभ्यावेदन को खारिज किया जाता है।

Signed by
Amrish Kumar Sharma
Date: 02-12-2024 10:46:00
(अमरीश कुमार शर्मा)
अपर आयुक्त सह क्षेत्रीय निदेशक

प्रतिलिपिः-
1. संबंधित कर्मचारी (नियंत्रण अधिकारी के माध्मय से)।
2. क्षेत्रीय निदेशक (प्रभारी) महोदय, के निजी सचिव, क्षेत्रीय कार्यालय, क.रा.बी.निगम, कानपुर को सूचनार्थ।
3. उप निदेशक (प्रभारी), उप क्षेत्रीय कार्यालय, क.रा.बी.निगम, नोएडा/ लखनऊ/ वाराणसी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु।
4. चिकित्सा अधीक्षक, क.रा.बी. निगम अस्पताल, जाजमऊ, कानपुर/ बरेली/ लखनऊ/ वाराणसी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु।
5. समस्त शाखाधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, क.रा.बी.निगम, कानपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु।
6. क्षेत्रीय कार्यालय, कानपुर के अधीन समस्त शाखा कार्यालय/औषधालय सह शाखा कार्यालय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु।
7. शाखाधिकारी, आई.टी. शाखा, क्षेत्रीय कार्यालय, क.रा.बी.निगम, कानपुर को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि मल्टी-टास्किंग स्टाफ की इसे वेबसाइट पर अपलोड कराने का श्रम करें।
8. क्षेत्रीय कार्यालय, क.रा.बी.निगम, कानपुर के सभी नोटिस बोर्ड।